

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 7287


दिनांक: 14/08/2023

कार्यालय आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 1857 दिनांक 23.06.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार Social Media Development कार्य हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 800- अन्य व्यय, 01-फार्म वन विद्या, 63-वृक्षारोपण में हेतु वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

कार्यालय	कुल आवंटन (रु.लाखों में)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर	20.00
योग:-	20.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-  
बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

  
(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 7288-92

दिनांक: 14/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर